तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

राजस्व प्रार्थना संख्या 16/2023
मैलाराम वगै0 बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा – 131,136 आर.एल.आर एक्ट
दिनांक :– 13.2.2023

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी मैलाराम स्वंय उपस्थित । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित / अनुपस्थित । प्रार्थी मैलाराम ने कथन किया कि ग्राम खेमाबाबा नगर, पटवार हल्का खेड, भू.अ. नि. साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 625/68, 1150/68, 1125/68, 1126/68, 1127/68, 1128/68, 1129/68 में स्थित भूमि व खसरा संख्या 1149/68 रास्ता की भूमि मे गलत तौर से तरमीम की गयी है । खेत खसरा संख्या 625/68 भूमि का रकबा 13–00 बीघा था मगर गलत तरमीम करने से अब केवल मात्र रकबा 9.00 बीघा ही भूमि शेष रही है । जबकि यह जमीन 13.00 बीघा होनी चाहिये थी, जो जमीन खसरा संख्या 1125/68, 1126/68, 1127/68, 1129/68 में स्थित भूमि व खसरा संख्या 1149/68 रास्ता की भूमि मे ज्यादा चली गयी है, जिसकी तरमीम शुद्विकरण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा के पत्रं क्रमाक/ भू.अ./विविध/2023/46 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट , मौका फर्द, तरमीम दुरूस्ती दिनांक 3.1.2023 रेकर्ड पर मौजूद है । साथ ही निवेदन किया कि पक्षकारन के मौका फर्द तरमीम दुरूस्ती पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है व सहमत होने से तामिल व जबाब की आवश्यकता नहीं रही है ।

अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सहमत हूं और किसी प्रकार की आपत्ति नही है । प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जमाबदी अनुसार लट्ठा ट्रेस तरमीम शुद्विकरण हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । जिसमे पाया कि मूल खसरा संख्या 652/68 का वर्तमान जमाबंदी में विभाजित नए खसरे संख्या 1190/625, 1191/625, 1192/625 दर्ज है जिनका कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:08 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13—00 बीघा जमाबंदी मे दर्ज है जबकि लट्ठा ट्रेस में तरमीम अनुसार खसरा संख्या 625/68 का रकबा 8.10 बीघा है अर्थात लट्ठा ट्रेस मे तरमीम रकबा 4.10 बीघा कम है । जमाबंदी में खसरा संख्या 1150/68 का रकबा 10.00 बीघा दर्ज है। असैा लटठा ट्रेय मे तरमीम रकबा 10.00 बीघा बनता है अर्थात जमाबदी में दर्ज रकबा व लटठा ट्रेस तरमीम रकबा समान है । जमाबंदी में खसरा संख्या 1125/68 का रकबा 6.01 बीघा दर्ज है जबकि लट्ठा ट्रेस मे तरमीम रकबा 6.08 बीघा बनता है अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0—07 बीघा अधिक लट्ठा ट्रेस तरमीम रकबा है । जमाबंदी में खसरा संख्या 126/68 का रकबा 6.01 बीघा दर्ज है जबकि लटठा ट्रेस मे तरमीम रकबा 7.08 बीघा बनता है । अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकबे से 01.07 बीघा अधिक लटठा ट्रेस मे तरमीम रकबा है । जमाबंदी में खसरा संख्या 1127/68 का रकबा 6.01 बीघा दर्ज है जबकि लटठा ट्रेस मे तरमीम रकबा 6.19 बीघा बनता है अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.18 बीघा अधिक लटठा ट्रेस तरमीम रकबा है । जमाबंदह मे खसरा संख्या 1128/68 का रकबा 6.01 बीघा दर्ज है जबकि लटठा ट्रेस मे तरमीम रकबा 7.08 बीघा बनता है । अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकबे से 1.07 बीघा रकबा लटठा ट्रेस में तरमीम अधिक है । इस प्रकार मूल खेत खसरा संख्या 625/68 के विभाजित नए खसरे 1125/68, 1126/68, 1127/68, 1128/68, 1150/68, 1149/68, 1129/68, (1190/625, 1191/625, 1192/625 मूल खसरा 625/68) का जमाबदी में दर्ज रकबे से लटठा ट्रेस अनुसार रकबा कम या ज्यादा होने से सलंग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तरमीम शुद्व किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। आधी का मनन किया गया जिसमे पाया कि तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका फर्द तरमीम दुरूस्ती के संलग्न प्रस्तावित परिशिष्ट ''ब'' तरमीम दुरूस्ती नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि मौजा खेमाबाबा नगर, पटवार हल्का खेड, भू.अ.नि. साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा के मूल खेत खसरा संख्या 625/68 के विभाजित नए खसरे 1125/68, 1126/68, 1127/68, 1128/68, 1150/68, 1149/68, 1129/68, (1190/625, 1191/625, 1192/625 मूल खसरा 625/68) का राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत नक्शें मे त्रुटिपूर्ण अंकन को मौका फर्द तरमीम दुरस्ती के संलग्न प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार शुद्व कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। जमाबंदी मे सभी का रकबा पूर्व की तरह यथावत रहेगा ।
	(विवेक व्यास) भू अभिलेख अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
	आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।
	भू अभिलेख अधिकारी (एसडीओ)बालोतरा उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2023.03.03 19:47:08
Reason: SelfAttested